राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2017-18

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17 (अनुमानित)
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	443.52
2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	29.37
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.47	959.57	414.15
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.15
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.6	942.08	400.00
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	276.4

5. निगम के कार्य एवं उददेश्य :

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूँकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 27.12.2012 एवं04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	47	16	16
2.	जिला कार्यालय	272	247	25	—
3	तहसील स्तर	488	144	344	—

7. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणालीः–

(1) खाद्यान्न की आपूर्तिः–

प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2014 को आयोजित बैठक में राज्य के कतिपय जिलों में ट्रक यूनियनों के द्वारा परिवहन दरें बढ़ाये जाने के कारण रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग के द्वारा केवीएसएस /भण्डारों के माध्यम से राशन सामग्री के थोक विक्रेता एवं परिवहन के कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की गई। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा राज्य में खाद्यान्न थोक विक्रेता के कार्य को करने हेतु जिलों में पदस्थापित निगम के प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति को थोक विक्रेता नियुक्त किया गया। खाद्यान्न परिवहन के कार्य हेतु राज्य में चरणबद्ध रूप से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई–निविदा आमंत्रित कर 19 जिलों में खाद्यान्न परिवहन का कार्य किया जा रहा हैं।

9. पीडीएस के अन्तर्गत चीनी का वितरण

1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजानिक वितरण विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार ने अपने अर्द्वशासकीय पत्र **No.2** (1)/2017-SP-I दिनांक 12.05.2017 के द्वारा उक्त योजना को संशोधित कर ,**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के**

अन्तर्गत अनुदानित चीनी वितरण योजना अब केवल अन्तोदय परिवार (AAY) तक सीमित कर दी गयी है। माह अप्रैल 2017 से प्रत्येक अन्तोदय परिवार(AAY) को 1 किलो चीनी प्रति माह उपलब्ध करवाने के दिशानिर्देश जारी किये गये है।

2. चीनी वितरण योजना के अन्तर्गत 18.50 रूपये प्रति किलो की दर से भारत सरकार द्वारा चीनी अनुदान राशि प्रदान की जाती हैं तथा जून 2016 तक उपभोक्ताओं द्वारा 13.50 रू. प्रति किलो की दर से चीनी क्रय की जाती थी। चीनी की दर वर्तमान में अधिक होने के कारण केन्द्र से अनुदान 18.50 एवं विक्रय दर 13.50 कुल 32.00 रूपये प्रतिकिलो से अधिक होने पर अन्तर राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी, लेकिन वित्त विभाग द्वारा अन्तर राशि वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि माह जुलाई 2016 से चीनी वितरण दर संशोधित कर उपभोक्ताओं से अन्तर राशि प्राप्त की जावे। तत्पश्चात् चीनी की दर 13.50 रू. प्रतिकिलो से बढ़ाकर 20. 00 रू प्रति किलो एंव जनवरी 2017 से 24.00 रू प्रति किलो की गयी। संशोधित योजना के अन्तर्गत अन्तोदय परिवारो को 24.50 रूपये प्रतिकिलो मय 5%GST निर्धारित कर वितरण किये जाने के आदेश दिनांक 29.11.2017 को जारी किये जा चुके है।

3. **चीनी की आपूर्ति** :– जून 2013 से मार्च 2017 तक के आवंटन के विरूद्व लक्षित वर्ग (अन्तोदय एंव बी.पी.एल) को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवायी जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के आंवटन के विरूद्व अन्तोदय परिवारो को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवाने हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके है। चीनी की आपूर्ति जारी है एवं आदेश के द्वारा वितरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। वितरण व्यवस्था स्पष्ट करें।

4. **केन्द्र सरकार का अनुदान** :– मार्च, 2017 तक की चीनी आपूर्ति के विरूद्व चीनी अनुदान के समस्त क्लेम चीनी निदेशालय भारत सरकार को भिजवाकर समस्त अनुदान प्राप्त कर लिया गया है।

5. **राज्य सरकार का अनुदान**:– मार्च 2017 तक की अन्तर राशि के समस्त क्लेम राज्य सरकार से प्राप्त कर लिये गये है।

6. चीनी निदेशालय, भारत सरकार के निर्देशो के अनुसार माह अप्रैल 2017 से अन्तोदय परिवारो (AAY) को चीनी उपलब्ध करवाने हेतु ई–टेण्डर किये गये थे। ई–टेण्डर के सफलतम निविदादाता को माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक के आवंटन के विरूद्व दिनांक 21.11.2017 को एंव जनवरी 2018 से मार्च 2018 के दिनांक 15.12.2017 को कार्यादेश जारी किये जा चुके है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिले के लिए प्राप्त ई–निविदा की दरो पर गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान को कार्यादेश दिये गये है।

7. चीनी का वितरण जून, 2016 तक 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से किया गया एंव जुलाई, 2016 से उपभोक्ताओं को 20.00/– रूपये, जनवरी 2017 से 24.00रू एंव 01.04.2017 से 24.50रू. मय 5% जी.एस.टी.प्रति किलो की दर से किया जा रहा है।

10. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

परिचय :–

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 के द्वारा किया गया। निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाले सामग्री को किफायती दर, गुणवत्तापूर्ण एवं उचित वजन में उपलब्ध करवाने के उदेश्य से नॉन पीडीएस सामग्री वितरण योजना शुरूआत की गई।

2. वर्तमान टेन्डर एवं उनकी अवधि:–

1 चाय (2017–18) सितम्बर 2017 से अगस्त 2018
2 अगरवत्ती (2017–18) अगस्त 2017 से जुलाई 2018

3. प्रगति :–

वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक नॉन पीडीएस सामग्रियो से निगम की कुल आय 1,04,37,456.00 रही है।

11. अन्नपूर्णा भण्डार योजना :

1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की अवधारणा को "अन्नपूर्णा भण्डार योजना" के रूप में मूर्त रूप दिया गया। दिनांक 01.01.2018 तक 6054 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित किये जा चुके है जिसके माध्यम से आम उपभोक्ताओं को मल्टीब्रॉण्ड वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हो रही हैं।

2. प्रगति :–

- बजट अभिभाषण वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 189 की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भण्डारों के रूप में रूपान्तरित किया जाने के उपरान्त मुख्यमत्री सलाहकार परिषद् द्वारा दिनांक 14.02.2017 को समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशो के क्रम में 2500 नवीन अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने हैं जिसकी पालना में दिनांक 01.01.2018 तक 1054 अन्नपूर्णा भण्डारों पर आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है तथा 462 भण्डार आपूर्ति हेतु तैयार किये जा चुके है।
- **दिनांक 22.09.2017 को राज्य स्तर** पर जिले के 5–5 उत्कृष्ट अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों, का आमुखीकरण (Orientation) / प्रशिक्षण/अनुभवों का आदान–प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित डीलरों को मास्टर ट्रेनर बनाकर सम्बन्धित जिलो में भेजकर अन्य भण्डार संचालकों को बेहतर कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- अन्नपूर्णा भण्डारों पर सितम्बर, 2015 से नवम्बर, 2017 तक कुल 125.18 करोड़ रू. की बिक्री हुई है तथा निगम को (1 प्रतिशत की दर से) 125.18 लाख रू. कमीशन के रूप में प्राप्त हुए हैं।
- अन्नपूर्णा भण्डार की वैबसाईट www.annapurnabhandarrajasthan.in को लगातार अपडेट किया जाता हैं जिस पर मुख्यतः नवीनतम मूल्य सूची, दैनिक प्रगति रिपोर्ट, परिपत्र/आदेश आदि को अपलोड किये जाते हैं।
- शासन सचिव, खाद्य एवं पदेन अध्यक्ष साराखानाआनि की अध्यक्षता में दिनांक 01.01.2018 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयानुसार राजकीय संस्थागत यथा कैन्टीन, छात्रावास एवं हॉस्टलों में दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति कराने हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय कारागार राजस्थान जयपुर, आयुक्त,

आपूर्ति कराने हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय कारागार राजस्थान जयपुर, आयुक्त, अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् राजस्थान, शिक्षा संकुल परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान शिक्षा संकुल परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर को अनुरोध पत्र भेजा गया है। जिसके क्रम मे राज्य भर मे कुल 231 राजकीय संस्थानों द्वारा अन्नपूर्णा भण्डारो से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

3. कार्य योजना :–

- अन्नपूर्णा भण्डार योजना की बिक्री में वृद्धि हेतु निगम द्वारा उपभोक्ता/भण्डार संचालक/जिला रसद अधिकारी/प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति/प्रवर्तन अधिकारी/परिवर्तन निरीक्षक हेतु प्रोत्साहन स्कीम प्रकियाधीन है।
- अगस्त, 2018 में "अन्नपूर्णा भण्डार फ्लेगशिप योजना" हेतु किया गया अनुबन्ध समाप्त हो रहा है ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्षो के लिए पूर्व में जारी अनुबन्ध को विस्तार करने हेतु अथवा नवीन निविदा जारी करने पर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

******